भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2145

04.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

आगमन पर वीज़ा

2145. श्री गौतम गंभीर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय नागरिकों को आगमन पर वीज़ा देने के लिए जहां ऐसी व्यवस्था पहले से मौजूद उन देशों के अतिरिक्त यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के साथ किसी भी व्यवस्था पर काम कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) इस समय भारतीय नागरिकों को आगमन पर वीज़ा देने के लिए यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के साथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। हालांकि, वीज़ा जारी करना और वीज़ा संबंधी प्रक्रिया संबंधित देश का संप्रभु और एकतरफा निर्णय होता है, फिर भी भारतीय नागरिकों के लिए आसान और उदारीकृत वीज़ा नीति से संबंधित मामला नियमित रूप से अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों/मंचों में उठाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत भी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के नागरिकों को आगमन पर वीज़ा प्रदान नहीं करता है।

***